

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 14, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-93-2017-1-पाँच (70).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-93-2017-1-पाँच (162) दिनांक 29 दिसम्बर 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में :-

दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों से संबंधित प्ररूप जीएसटीआर. 4 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितम्बर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है.”

2. इस अधिसूचना को दिनांक 21 सितम्बर 2020 से प्रवृत्त हुआ माना जावेगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-93-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-93-2017-1-पांच (70), दिनांक 5 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2020

No. F-A3-93-2017-1-V (70).- In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification, No. F-A-3-93-2017-1-V (162) dt. 29 December 2017 namely :-

In the said notification :-

after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :

"Provided also that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of State tax payable in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to March, 2019 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of October, 2020."

2. This notification shall deemed to have come into force with effect from the 21st day of September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-31-2020-1-पांच (67).-राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोवीड-19 के प्रसार के मद्देनजर, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि :-

- (i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय-सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से जून, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय-सीमा जून, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी :-

- (क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या
- (ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है; लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है :-
- (क) अध्याय IV;
- (ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (ग) धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;
- (घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा
- (ङ) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;
- (ii) जहां मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को अप्रैल, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा.

2. इस अधिसूचना को दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रवृत्त हुआ माना जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-31-2020-1-पांच.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-31-2020-1-पांच (67), दिनांक 5 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2020

No. F-A3-31-2020-1-V (67).- In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under :-

- (i) Where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of June, 2020, including for the purposes of :-
- (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any

authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or

- (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below :-

- (a) Chapter IV;
- (b) sub-section (3) of Section 10, Sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (c) Section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
- (d) Section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
- (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;
- (ii) where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of April, 2020.

2. This notification shall deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-32-2020-1-पांच (65).-राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के फैलाव की दृष्टि से, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि उन मामलों में जहां पूर्णतः या भागतः प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय-सीमा 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान है, ऐसी दशा में, उक्त आदेश को जारी करने के लिए समय-सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों तक या 30 जून, 2020 तक जो भी बाद का हो, विस्तारित हो जाएगा.

2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-32-2020-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-32-2020-1-पांच (65), दिनांक 5 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2020

No. F-A3-32-2020-1-V (65).— In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of Section 54 of the said Act falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30th day of June, 2020, whichever is later.

2. This notification shall deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-33-2020-1-पांच (66).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (2020 का 1) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2, धारा 7, धारा 10 और धारा 13 से 20 के सिवाय, धारा 2 से 21 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-33-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-33-2020-1-पांच (66), दिनांक 5 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2020

No. F-A3-33-2020-1-V (66).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2019 (1 of 2020), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, hereby appoints the 1st day of January, 2020 as the date on which the provisions of Sections 2 to 21, except Section 2, Section 7, Section 10 and Sections 13 to 20 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-34-2020-1-पांच (68).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (2020 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितंबर 2019 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ —ए-3-34-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-34-2020-1-पांच (68), दिनांक 5 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2020

No. F- A-3-34-2020-1-V (68).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Second 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2019 (1 of 2020), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, hereby appoints the 1st day of September, 2019, as the date on which the provisions of Sections 13 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ —ए-3-40-2020-1-पांच (69).— राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (2020 का 1) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितंबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ —ए-3-40-2020-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ—ए-3-40-2020-1- पांच (69), दिनांक 5 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2020

No. F- A-3-40-2020-1-V (69).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Second 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2019 (1 of 2020), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, hereby appoints the 1st day of September, 2020, as the date on which the provisions of Sections 10 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-43-2020-1-पांच (71).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर- 10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन वे उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर 2020 के 22 वें दिन से दिसंबर, 2020 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है.

2. इस अधिसूचना को दिनांक 21 सितम्बर 2020 से प्रवृत्त हुआ माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-43-2020-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-43- 2020-1- पांच (71), दिनांक 05 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2020

No. F- A-3-43-2020-1-V (71) : In exercise of the powers conferred by Section 128 of Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR- 10** by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of December, 2020."

2. This Notification shall deemed to have come into force with effect from the 21st day of September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.